

राजस्थान सरकार  
निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान  
(जी-3, राजगहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर, दूरभाष एवं फैक्स नं.- 0141-2222403)  
dlbrajasthan@gmail.com / dlbdda05@gmail.com

क्र मांक : प.1(ग) (7)का/एसएमई/डीएलबी/18/19084

दिनांक : 23/3/18

—: आदेश :—

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय/चतुर्थ श्रेणी सेवाये संवर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.स.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	श्री जय सिंह	सहा. अग्नि. अधिकारी	उदयपुर	चित्तौड़गढ़
2	श्री नितेश भटनागर	राजस्व निरीक्षक	उदयपुर	राजसमन्द
3	श्री केसरीमल गर्ग	कनिष्ठ लिपिक	भीण्डर	कानोड
4	श्रीमती रिकू यादव	कनिष्ठ लिपिक	शाहपुरा	विजयनगर
5	श्री चिरंजीलाल चाण्डक	पर्चा वितरक	रावतसर	वीकानेर
6	श्री बलराम गर्ग	कनिष्ठ लिपिक	बयाना	हिण्डौनसिटी
7	श्री मनीष कुमार	फायरमैन	उदयपुर	भरतपुर

विभागीय आदेश क्रमांक प.1(ग)( )का/एस.एम.ई/डीएलबी/18/18805 दिनांक 16.02.2018 के क्रम संख्या 01 पर अंकित श्रीमती मनीषा चौधरी, राजस्व निरीक्षक का नगर निगम, जयपुर से नगर परिषद, जालौर में किया गया पदस्थापन आदेश निरस्त किया जाता है।

नोट:-

1. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
2. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जावे।
3. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नही किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
4. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

(पवन अरोडा)  
निदेशक एवं संयुक्त  
शासन सचिव

क्रमांक:- प.1(ग) (7)का/एसएमई/डीएलबी/18/19085-128 दिनांक : 23/3/18

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
3. महापौर/आयुक्त/अध्यक्ष/सभापति/अधिकाधी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, उदयपुर/वीकानेर/चित्तौड़गढ़/भरतपुर/राजसमन्द/जयपुर/जालौर/हिण्डौनसिटी/भीण्डर/कानोड/शाहपुरा/विजयनगर/रावतसर/बयाना।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर/वीकानेर/जयपुर/अजमेर।
5. संबंधित कर्मचारी .....
6. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ वीरेन्द्र सिंह)  
उप निदेशक (प्रशासन)